

श्रीमानकी, भंगल | लखनऊ

पहल जार्जना फल अलमति धारा 212 RTI
एक अपील कोर्ट की तरफ भेजा है।

1. व्यापक जार्जना फल जमानती पत्र 2063-66
संलग्न है।

2. नोटिस रजिस्ट्रार संलग्न है।

3. केविट नहीं है।

श्रीमान / 500 लाख

दिनांक
9.2.12

~~श्रीमान~~ श्रीमान श्रीमान

09.2.12

9.2.12 जार्जना अपील वकील उपर नोटिस कोर्ट
की गई। उक्त पत्र कोर्ट को भेजा जावे।
अपील कोर्ट को नोटिस रजिस्ट्रार को 317
पत्रवकी दिनांक 6-3-12 को भेजा है। 15.2.12

डॉ. वि. क. शर्मा
S.D.M. जम (भरतपुर)

26/04/2024 वकील वादी उपस्थित / वकील वादी को सुना गया।
वकील वादी द्वारा T.I. पट बहस पेश की। पत्रावली में संलग्न
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अस्थायी निवेद्या
की आवश्यकता आदि नहीं की। थुंकि वादपत्र अन्तिम बहस की
स्थिति में हैं एवं प्रथम दृष्टया संकलन, अशुभानुसंधान, सुविद्या का
सन्तुलन एवं इस पेटेंट का आवश्यकता वादी के पक्ष में नहीं आती
है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली हम होकर भेजा
है।

हो। Tamir